

जनपद बाराबंकी

दिनांक-11.11.21

मॉनीटरिंग सेल जनपद बाराबंकी की प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरूप मा० न्या० अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट)-44 बाराबंकी ने एक अभियुक्त को 07 वर्ष 10 माह का कठोर कारावास व 15,000 रू० अर्थदण्ड से किया दण्डित -

पुलिस अधीक्षक बाराबंकी द्वारा जघन्य अपराधों में समुचित पैरवी करते हुये शीघ्र सजा दिलाये जाने के आदेश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी के पर्यवेक्षण में मॉनीटरिंग सेल में नियुक्त अधि०/ कर्म०गण /पैरोकार द्वारा जघन्य अपराधों के अभियोगों की समुचित पैरवी मा० न्यायालय में करते हुए साक्ष्य हेतु महत्वपूर्ण गवाहों को माननीय न्याया० में समय से प्रस्तुत कराकर गवाही करवायी गयी, जिससे माननीय न्यायालय द्वारा थाना कुर्सी पर पंजीकृत मु०अ०सं० 47/16 धारा 363/366/376 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट में अभियुक्त गौरव पुत्र ज्ञानी निवासी ग्राम नीवलपुर थाना शमशादबाद जनपद फतेहगढ को उपरोक्त धाराओं में मा० न्या० अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट)-44 बाराबंकी द्वारा दोषसिद्ध करते हुये अभियुक्त को 07 वर्ष 10 माह का कठोर कारावास व 15,000 रू० अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। कार्यवाही से जनता में न्याय के प्रति विश्वास बढा तथा पुलिस पैरवी के इस प्रयास की जनता द्वारा भूरि भूरि प्रशंसा की गयी ।

संक्षिप्त विवरण:-

वादिनी श्रीमती लक्ष्मी पत्नी राकेश निवासी बृजवासी का पुरवा मजरे महमूद बनौरा थाना कुर्सी जनपद बाराबंकी ने दिनांक 23.02.2016 को थाना कुर्सी पर सूचना दी, कि अभियुक्त द्वारा वादिनी की पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले जाना व दुष्कर्म करना, जिसके सम्बन्ध में थाना कुर्सी जनपद बाराबंकी पर मु०अ०सं० 47/16 धारा 363/366/376 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट बनाम गौरव पुत्र ज्ञानी निवासी ग्राम नीवलपुर थाना शमशादबाद जनपद फतेहगढ पंजीकृत किया गया। तत्कालीन विवेचक उ०नि० श्री राकेश कुमार गुप्ता द्वारा वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्य संकलन करते हुये, अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया ।

पुलिस टीम-

- 1- निरीक्षक श्री सुरेश कुमार वर्मा प्रभारी मॉनीटरिंग सेल जनपद बाराबंकी।
- 2- उ०नि० श्री कमलेश कुमार शुक्ला मॉनीटरिंग सेल जनपद बाराबंकी।
- 3- हे०का० अमर बहादुर सिंह मॉनीटरिंग सेल जनपद बाराबंकी।
- 4- म०का० प्रतिमा द्विवेदी मॉनीटरिंग सेल जनपद बाराबंकी।
- 5- म०का० पूनम देवी, म०का० सपना, मॉनीटरिंग सेल जनपद बाराबंकी।
- 6- का० दुर्जय सिंह पैरोकार थाना कुर्सी जनपद बाराबंकी।